(37)

राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांकः एफ 4(1)(9)नपा/रानिआ/94/295 जयपुर, दिनांकः 14.10.94

आदेश

यतः राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 35 के उप नियम (2) के खण्ड (क), (ख) और परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार किसी मतदाता को मतपत्र जारी किये जाने के समय, मतदान अधिकारी इसके प्रतिपर्ण पर, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में यथाप्रविष्ट मतदाता का, क्रम संख्यांक अभिलिखित करेगा, और उस प्रतिपर्ण पर उस मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप अभिप्राप्त करेगा, परन्तु किसी मतदाता को कोई भी मतपत्र तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह उस मतपत्र के प्रतिपर्ण पर अपने हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप न लगा दें,

यतः मतदान केन्द्र पर मतदान की प्रक्रियानुसार मतदाता के मतदान केन्द्र में प्रवेश करने पर प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली में मतदाता का नाम देखेगा और नामावली में संबंधित प्रविष्टि में दिये गये विवरणों की जॉच करने के बाद ऊॅची आवाज में उस मतदाता का नाम, पिता/पति का नाम और नामावली की भाग संख्या व मतदाता क्रम संख्यांक सुनाऐगा। जैसे ही प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता का क्रम संख्यांक बोलता है उसी समय तृतीय मतदान अधिकारी मतपत्र के प्रतिपर्ण पर निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक व मतदाता का क्रम संख्यांक लिख देता है और इस प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान कराता है, और

यतः उपर्युक्त रीति से मतपत्र के प्रतिपर्ण पर निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक एवं मतदाता क्रम संख्यांक अभिलिखित हो जाने के उपरान्त संबंधित मतदाता उस प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगाने से यदि इन्कार करदें तो उपरोक्त परन्तुक के अनुसार उसे मतपत्र नहीं दिया जाएगा, परन्तु उपरोक्त नियमों में इस प्रकार अभिलिखित प्रतिपर्ण और उसके सम्बद्ध मतपत्र का निस्तारण करने की कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है,

अतः उपरोक्त कठिनाई का निराकरण करने हेतु उपरोक्त नियमों के नियम 97 के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग एतदद्वारा निर्देश देता है कि मतपत्र, जिसके प्रतिपर्ण पर मतदान अधिकारी ने हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगाने से इन्कार करने वाले मतदाता की निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या पहले ही अभिलिखित कर दी है, को रद्द कर दिया जावे और मतपत्र तथा प्रतिपर्ण के पृष्ठ भाग पर शब्द ''रद्द किया गया : मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन – हस्ताक्षर करने से इन्कार'' पीठासीन अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित किये जाकर अपने हस्ताक्षर किये जावें और ऐसे रद्द किये गये मतपत्रों को नियम 37 के उप–नियम (7) में उल्लिखित आवरण (लिफाफा), जिस पर 'मतपत्र – मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया' लिखा होगा, में उसमें रखे अन्य रद्द मतपत्रों (यदि कोई हो) के साथ रखा जावेगा और मतपत्र लेखा (प्ररूप–17) के मद संख्या 4(क) में लेखांकित किया जायेगा।

आज्ञा से,
ह.
(बी.बी.महान्ति)
सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

[1][FORM 17

[See Rule 49 (1)]

BALLOT PAPER ACCOUNT

Election to the Municipal .....
Ward Number .....
Polling Station Number .....
Polling Station Name .....

PART - I

			Serial Nos.		Total Nos.
			From	To	
1.	Ballot paper received		_____	___	_____
2.	Ballot paper unused (i.e. not issued to voters) -				
	(a)	With the signature of the Presiding Officer	_____	___	_____
	(b)	Without the Signature of the Presiding Officer	_____	___	_____
	Total : (a+b)		_____	___	_____
3.	Ballot paper used at the* Polling Station (1) - (2) = (3)				
4.	Ballot paper used at the Polling Station but NOT INSERTED INTO THE BALLOT BOX :				
	(a)	Ballot papers cancelled for violation of voting procedure*			_____
	(b)	Ballot papers cancelled for other reasons*.			_____
	(c)	Ballot papers used as tendered ballot papers.			_____
	Total : (a+b+c)				
5.	Ballot papers to be found in * the ballot box [(3) - (4) = (5)]				_____

Date..../.../.... Signature of the Presiding Officer

* Serial No. need not be given.

PART - II

Result of initial counting
(To be used at the counting centre)

1. **Total number of ballot papers found in the ballot box(es) used at the polling station .....**
2. **Discrepancy, if any, between the total number as shown against item 1 in this Part and the total number of ballot papers to be found in the ballot box(es) shown in item 5 of Part 1 .....**

Date .....

Signature of Counting Supervisor

Signature of Returning Officer.

]

1. Subs. by notification dt. 25.8.99.